Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "ख" वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांकः–415 / 05 व्यख–सा0 / 2019 दिनांक–25 / 06 / 2019

::कार्यालय–ज्ञाप::

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिएं वार्षिक स्थानान्तरण 2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–152 / XXX (2) / 19 / 30(13)) 2017 दिनांक 07 जून .2019 के अनुपालन में वृत्तीय संवर्ग के अन्तर्गत कनिष्ठ सहायक का स्थानान्तरण कार्यहित में उसके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–05 में उल्लिखित स्थान पर किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं:–

क्रम सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5	6
1	श्री. अरविन्द कुमार	कनिष्ठ सहायक	8वॉ वृत्त लो0नि0वि0 टिहरी	10वॉ रा0मा0 वृत्त लो0नि0वि0 देहरादून	स्थानान्तरण एक्ट की धारा 17 (1) (ग) के अन्तर्गत

1– सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।

2– सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

3– सम्बंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

4– स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(अयाज अहमद)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, टिहरी।
3. मुख्य अभियन्ता रा0रा0मा0 लो0नि0वि0 देहरादून।
4. अधीक्षण अभियन्ता 8वॉ वृत्त, लो0नि0वि0 टिहरी / 10वॉ रा0मा0 वृत्त देहरादून।
5. मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, टिहरी / देहरादून।
6. अधिशासी अभियन्ता / आई0टी0 हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को इस आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
7. श्री. अरविन्द कुमार, कनिष्ठ सहायक, 8वॉ वृत्त लो0नि0वि0 टिहरी।
8. गार्ड पत्रावली।

25.6.19
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)